DEPARTMENT OF URBAN DEVELOPMENT
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

Date: 30.07.2020

To,
The Registrar
National Green Tribunal
Principal Bench
New Delhi.

Subject: Action Taken Report in O.A. No: 136/ 2015

Hon'ble National Green Tribunal in above O.A. No: 136/2015 had ordered on 25.02.2020 Department of Urban Development for ensuring action against guilty officials for the failure of compliance of proper waste management in Vrindavan Nagar Palika (now part of Mathura Nagar Nigam).

2. The department had initiated departmental proceedings against the guilty officials and the proceedings have been concluded against Shri T.N. Chaubey (the then in charge Executive Officer) , Shri Awadhesh Kumar, the Sanitary Inspectors. Proceedings were also initiated against Shri Mukesh Gautam the chairman of ULB of that time. The details are as following:

i) Shri Awadhesh Kumar, the Sanitary Inspector of that time, after duly completing the disciplinary proceedings inquiry punishment has been awarded to the officer and an annual increment in salary has been withheld also an adverse entry against him has been awarded in his ACR by the competent authority vide it's order No: 4/1460, Dated: 03.07.2020. The same is attached as **Annexure-1.**

ii) Shri T.N. Chaubey, the then in charge Executive Officer of that time has also been found guilty in the departmental proceedings and punishment of withholding an annual increment in salary has been awarded by competent authority vide it's order No: 2/13696/178/ V.Ka./A.A.N.P./20, Dated: 27.07.2020. The same is attached as **Annexure-2.**

iii) Shri Mukesh Gautam, the then Chairman of ULB : A show cause notice was issued on the date 02.12.2019. The reply received from Shri Mukesh Gautam has been sent to District Magistrate- Mathura for review/ fact checking. We got the report from the DM- Mathura on dated 28.07.2020 by E-mail, which is annexed as **Annexure-3.** Report given by DM- Mathura is being examined for concluding enquiry as per the provisons of UP Municipalities act 1916.

It is humbly submitted before this Hon'ble Tribunal that department is fully committed to ensure compliance of the orders of Hon'ble Tribunal and the progress report is submitted regarding compliance point related to initiate departmental proceedings against the official who were guilty in the instant matter, i.e. OA 136/2015.

(Sanjay Kumar Singh Yadav)
Special Secretary
Department of Urban Development

Annexure-1 संलग्नक-1

पंजीकृत

नगर निकाय निदेशालय,
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,लखनऊ।

सं0–4/ 1460/260–स0नि0/वि0जॉ0/19 **लखनऊः दिनॉक–03.जुलाई,2020**

कार्यालय आदेश

उ0प्र0शासन,नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ के पत्र सं0–2167/नौ–7–19, दिनॉक–02.12.2019 में की गयी संस्तुति के आधाार पर उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) अधीनस्थ स्वास्थ्य सेवा के श्री अवधेश कुमार, सफाई एवं खादय निरीक्षक, सम्प्रति नगर पालिका परिषद पिलखुवा, जनपद हापुड़ तत्कालीन सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर पालिका परिषद, वृन्दावन के कार्यकाल में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियमावली के अनुपालन में कूडे कचरे का निस्तारण न कराये जाने के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नई दिल्ली में ओ0ए0 सं0–136/2015 एवं ओ0ए0 सं0–6/2017 मधुमंगल शुक्ला बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य योजित की गयी, में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित विभिन्न आदेशों का समय से अनुपालन न कराने, अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रति सजग न रहने व अपने पद के अनुरूप कार्य न करने के कारण तथा मा0 एन0जी0टी0 के समक्ष प्रश्नगत प्रकरण में शासन को असमंजस स्थिति का सामना करना पड़ा एवं प्रदेश की छवि धूमिल होने के कारण निदेशालय के पत्र सं0–4/559/575–स0नि0/09, दिनॉक–02.012.2019 द्वारा श्री अवधेश कुमार, सफाई एवं खादय निरीक्षक के विरूद्व अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी जॉच अधिकारी द्वारा जॉच आख्या पूर्ण करने के उपरान्त अपचारी कर्मचारी के ऊपर निम्नानुसार तीन आरोप प्रमाणित पाये गयेः–

आरोप सं0–1 मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण,नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनॉक–11.05.2016 का कियात्मक अंश संलग्न कर उक्त आदेश द्वारा उ0प्र0प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत नोटिस का संज्ञान गंभीरता पूर्वक न लेने के कारण, निर्धारित अवधि में मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों का अनुपालन न करने, सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट रूल्स के अनुसार समयबध रूप से प्रभावी कार्यवाही न करने, डोर टू डोर कलैक्सन व ट्रॉसपोटेशन, डांपिग कार्य में लगे प्राईवेट संस्था के ऊपर शिथिल पर्यवेक्षण के कारण व मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में प्रश्नगत प्रकरण में प्रभावी पैरवी न करने का कारण प्रथम दृष्टिया दोषी हैं। उक्त आरोप के संबंध में अपचारी कर्मचारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्राईवेट संस्था द्वारा दिनॉक–31.08.2018 से कार्य किया जा रहा है, समय समय पर उच्चाधिकारियों को अतिक्रमण के लिए सक्षम अधिकारी को सूचित किया गया। कूड़ा डालने के विरूद्व चालान किया गया तथा कूडा जलाने वालों के विरूद्व एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी। नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) के तहत कर्मचारी व उपकरण के लिए उच्चाधिकारियों को रजिस्ट्री की गयी। अपचारी कर्मचारी के स्पष्टीकरण में उक्त आरोप के संबंध में समुचित आधार व साक्ष्यों के प्रमाणिकता की पुष्टि न होने के कारण उक्त आरोप सिद्व होना प्रतीत पाया गया है।

आरोप सं0–2 मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित उपर्युक्त याचिका में सुनवाई के उपरान्त दिनॉक–03.07.2017 को पारित आदेश के कियात्मक अंश का विवरण निम्नवत् हैः–

The concerned Secretary of State of Uttar Pradesh is directed to hold a department enquiry and take disciplinary action against the erring officers and the staff if not done so far.

The Secretary shall immediately submit a report with regards to the disciplinary action taken against the erring officers and the staff to the Tribunal, if the departmental enquiry has already been held or on completion of the same.

उक्त से स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध इत्यादि पर अपेक्षित व प्रभावी कार्यावाही न किये जाने के कारण मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकारण के समक्ष असमंजसपुर्ण स्थित का सामना करना पडा,जो कि लापरवही व कर्तव्यहीनता का द्योतक है जिसके लिए अपचारी कर्मचारी प्रथम दृष्ट्यता उत्तरदायी है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा अपनी आख्या बिन्दु–6 में अवगत कराया गया है कि प्लास्टिक कैरी बैग प्रतिबंध के संबंध में पूर्व अधिशासी अधिकारी/एस0डी0एम0 एवं नगर मजिस्ट्रेट की गठित समिति में कोतवाली से पुलिस बल प्राप्त कर संचालित किया जाता था। टैक्स कलैक्टर द्वारा जुर्माना आरोपित होने पर फार्म नं0–5 की जुर्माना की रसीद टैक्स कलैक्टर द्वारा काटी जाती थी। अपचारी कर्मी द्वारा अभियान चलाकर सूवर पकडवाने व जुर्माना लगाये जाने का उल्लेख है। किन्तु उक्त आरोप विवेचना के दुष्टिगत अपचारी कर्मी के उत्तर में पर्याप्त आधार न होने व ठोस साक्ष्य न होने के कारण आरोप प्रमाणित पाये गये।

<u>आरोप सं0–3</u> नगर आयुक्त, नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा अवगत कराया गया है कि वर्ष 2012–2017 तक अपचारी कर्मचारी सफाई एव खाद्य निरीक्षक के पद पर नगर पालिका परिषद वृन्दावन में तैनात रहे हैं। किन्तु अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने पद के अनुरूप व सौंपे गये कर्तव्यों व उत्तर दायित्वों के प्रति गम्भीर व जागरूक नहीं रहें। अपचारी कर्मचारी के शिथिल पर्यवेक्षरण व उदासीनता के कारण मा0 न्यायालय में शासन को असमंजसपूर्ण स्थिति का सामना करना पडा एवं प्रदेश की छवि धुमिल हुई। अपचारी कर्मचारी यह कृत्य उ0प्र0सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के विरूद्व है, जिसके लिए प्रथम दृष्ट्या अपचारी कर्मचारी दोषी हैं।

अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने स्पष्टीकरण आख्या बिन्दु–7 एवं 8 में अवगत कराया गया है कि यह कि मा0 एन0जी0टी0 में पैरवी पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद में वृन्दावन में तैनात अधिशासी अधिकारी एवं वादलिपिक के द्वारा की जाती रही हैं इस संबंध में मुझे कोई पत्र/पत्रावली नही प्राप्त हुई तथा यह भी अवगत कराना है कि प्रार्थी द्वारा सफाई व्यवस्था से सम्बन्धित आवश्यक कार्यों के संबंध में जिला प्रशासन तथा तत्कालीन अधिशासी अधिकारी को अवगत कराया जाता रहा है तथा नगर पालिका परिषद में समस्त अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष में निहित होते है जो कि निकाय की किसी भी समस्या के निदान हेतु सकक्ष्म अधिकारी है।

यह कि मेरी कार्य कुशलता एवं किये गये कार्यों की सराहना के संदर्भ में निवर्तमान अधिशासी अधिकारी, तत्कालीन अधिशासी अधिकारी, डिप्टी कलेक्टर, नगर निगम के नगर आयुक्त(आई0ए0एस0/पी0सी0एस0)के द्वारा मुझे प्रशंस्ति पत्र प्रदान किये गये है।

आरोप सं0–3 के विवेचना स्पष्ट है कि अपचारी कर्मी द्वारा एम0एस0डब्लू0 (मैनेज्मेन्ट एण्ड हैण्डलिंग) रूल्स 2000 के गाइडलाइन व मा0 एन0जी0टी0 के आदोशों का समयबद्व अनुपालन कराने में प्रभावी कार्यावाही नहीं किये जाने के कारण एन0जी0टी0 में सुनवाई के दौरान शासन को असमंजस की स्थिति का सामना करना पडा जिसके लिए नगर पालिका परिषद,वृन्दावन के अन्य सक्षम, उत्तरदायी व प्रशासनिक व वित्तीय अधिकार प्राप्त अधिकारियों व कर्मियों की भांति अपचारी कर्मी भी अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी हैं। विवेचना के दृष्टिगत आरोप सं0–3 अपचारी कर्मी के ऊपर आंशिक रूप से प्रमाणित होना पाया गया है।

उक्त प्रमाणित पाये गये आरोपों के दृष्टिगत निदेशालय के पत्र सं0–4/1255/वि0जां0/2020–21, दिनॉक–05.मई,2020 द्वारा जॉच आख्या दिनॉक–30.04.2020 की छायाप्रति संलग्न कर अपचारी कर्मचारी को प्रेषित करते हुए अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त कम में अपचारी कर्मचारी द्वारा अपना अभ्यावेदन दिनॉक–15.05.2020 प्रस्तुत किया गया, जिसमें कोई नया तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, केवल अधिशासी अधिकारी का पत्र दिनॉक–25.02.2016 जो मैनेजर वृन्दावन बन्धु वृन्दावन को संबोधित है तथा कूडे में आंग न लगाने के संबंध में हैं व अधिशासी अधिकारी का पत्र दिनॉक–27.03.2016 जो श्री जगन्नाथ पोददार प्रबन्धक वृन्दावन बन्धु कूडे में आंग लागने के कारण नोटिस दी गयी है, की छायाप्रति संलग्न की गयी है,शेष अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने अभ्यावेदन दिनॉक–15.05.2020 में जो उल्लेख किया गया है वह पूर्वउत्तर दिनॉक–16.12.2019 का ही पुनरावृत्त है।

अपचारी कर्मी के आरोप पत्र के कम में स्पष्टीकरण/उत्तर दिनॉक–16.12.2019 व अभ्यावेदन दिनॉक–15.05.2020 का सावधानी पूर्वक गहनता से परीक्षण किया गया, जिसमें उक्त आरोपों की पुष्टि पायी गयी ।

अतः श्री अवधेश कुमार, सफाई एवं खाद्य निरीक्षक, नगर पालिका परिषद,वृन्दावन के विरूद्व कार्यालय आदेश दिनॉक–02.दिसम्बर,2019 द्वारा प्रारम्भ की गयी अनुशासनिक कार्यवाही एतद्द्वारा एक अस्थायी रूप से वार्षिक वेतन वृद्वि रोकते हुए प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ जॉच समाप्त की जाती है।

(डॉ0 काजल)
निदेशक।

संख्या एवं दिनॉक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1–विशेष सचिव,उ0प्र0शासन,नगर विकास अनुभाग–7 लखनऊ को उनके पत्र सं0–2167/नौ–7–19,दिनॉक–02.12.2019 के क्रम में ।

2–अनु सचिव,उ0प्र0शासन,नगर विकास अनुभाग–5 को उनके पत्र सं0–813(3)/नौ–5–2020–258सा/2019,दिनॉक–29.06.2019

3–नगर आयुक्त,नगर निगम,मथुरा–वृन्दावन।

4–अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद,पिलखुवा,जनपद–हापुड़।

5–श्री अवधेश कुमार,सफाई एवं खाद्य निरीक्षक,सम्प्रति नगर पालिका परिषद,पिलखुवा,जनपद हापुड़ तत्कालीन सफाई एवं खाद्य निरीक्षक पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, वृन्दावन।

(डॉ0 काजल)
निदेशक।

Annexure-2 संलग्नक-2

नगर निकाय निदेशालय,उ0प्र0,
सेक्टर–7, गोमती नगर विस्तार,लखनऊ

संख्या–2/13696/178/वि0का0/अ0अ0न0पं0/20 लखनऊः दिनांक 27 जुलाई,2020

कार्यालय–आदेश

उ0प्र0 पालिका (केन्द्रीयित) प्रशासी (अधीनस्थ) सेवा के श्री टी0एन0चौबे तत्कालीन प्रभारी अधिशासी अधिकारी, पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, वृन्दावन (वर्तमान नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन) सम्प्रति अधिशासी अधिकारी नगर पंचायत, हण्डिया जनपद प्रयागराज द्वारा नगर पालिका परिषद, वृन्दावन मथुरा के कार्यकाल में सालिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियमावली के अनुपालन में कूड़े–कचरे का निस्तारण नहीं कराये जाने के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या–136/2015 एवं ओ0ए0 संख्या–6/2017 मधुमंगल शुक्ला बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य योजित की गयी थी। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 03.07.2017, 22.04.2019 एवं 09.08.2019 के अनुपलान में पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, वृन्दावन में दिनांक 22.07.2015 से दिनांक 30.07.2017 की अवधि में तैनात रहे श्री टी0एन0चौबे, तत्कालीन कार्यवाहक अधिशासी अधिकारी, पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, वृन्दावन को प्रथम दृष्टया दोषी पाया गया। शासन के पत्र संख्या–2465/9–1–19– 115सा0/2016, दिनांक 02.12.2019 द्वारा श्री टी0एन0 चौबे के विरूद्ध शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर विभागीय अनुशासनिक जॉच कार्यवाही प्रारम्भ करने के निर्देश दिये गये एवं आरोप पत्र मय संलग्नक उपलब्ध कराया गया। तत्क्रम में निदेशालय के कार्यालय आदेश संख्या–2/11292/28/620(491)/अ0अ0न0न0पं0/93टीसी पार्ट–3, दिनांक 02 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रकरण की जॉच हेतु उप निदेशक, नगर निकाय निदेशालय,उ0प्र0, लखनऊ को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

आरोपी अधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप पत्र संख्या–पीए/35/डीडी/आ0पत्र/2019, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 द्वारा साक्ष्य के साथ अपचारी अधिकारी पर तामील कराने हेतु जिलाधिकारी, प्रयागराज को पत्र संख्या–पीए/36/191/डी0डी0/वि0जां0/19, दिनांक 24 दिसम्बर, 2019 द्वारा प्रेषित किया गया। जिलाधिकारी, प्रयागराज के माध्यम से आरोप पत्र का तामीला प्राप्त न होने के कारण उक्त का अनुस्मारक पत्र संख्या–पीए/55(1)/ 191/ डी0डी0/वि0जां0/19, दिनांक 6.2.2020 एवं पत्र संख्या–पीए/71/191/डी0डी0/वि0जां0/19, दिनांक 18.3.2020 प्रेषित किया गया। तदोपरांत अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, ओबरा जनपद सोनभद्र के पत्र संख्या–855/न0पं0ओ0/2019–20, दिनांक 22.8.2019 द्वारा अपचारी अधिकारी की नगर पंचायत, ओबरा जनपद सोनभद्र की कार्यरत अवधि में बरती गई अनियमितताओं के उपलब्ध कराये गये साक्ष्यों के दृष्टिगत अपचारी अधिरकारी के विरूद्ध एक अनुपूरक आरोप गठित किया गया जो कि साक्ष्यों सहित पत्र संख्या–पीए/73/अनु0आरोप पत्र/2020 दिनांक 20.03.2020 तामीली हेतु जिलाधिकारी, प्रयागराज को पत्र संख्या–74, दिनांक 20.03.2020 द्वारा प्रेषित किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा आरोप पत्र साक्ष्यों सहित दिनांक 21.5.2020 को प्राप्त किया गया। अपचारी द्वारा आरोप पत्र एवं अनुपूरक आरोप पत्र तथा संबंधित साक्ष्य प्राप्त करने के उपरांत पत्र दिनांक 27.5.2020 द्वारा, जो निदेशालय में दिनांक 13.6.2020 को प्राप्त हुआ, उत्तर देने में असमर्थता व्यक्त की गई तथा कोविड–19 का प्रभाव कम होने अथवा किसी वाहक के माध्यम से दोनों प्रकरणों से संबंधित पत्रावली उन्हें उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। जांच अधिकारी के पत्र संख्या–104 दिनांक 30.6.2020 द्वारा अंतिम नोटिस निर्गत करके अपचारी अधिकारी को प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण से आच्छादित होने व दोनों आरोप पत्र प्राप्त किये हुए पर्याप्त समय व्यतीत हो जाने के फलस्वरूप अंतिम अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 07.07.2020 तक अपना उत्तर अनिवार्य रूप से प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। अपचारी अधिकारी के पत्र दिनांक 02.07.2020 द्वारा दोनों आरोपों का उत्तर उपलब्ध कराया गया है।

आरोप संख्या–1

जब आप अधिशासी अधिकारी, पूर्ववर्ती नगर पालिकापरिषद, वृन्दावन के पद पर तैनात थे, तत्समय सॉलिड वेस्ट मैनेजमेन्ट नियमावली के अनुपालन में कूड़े–कचरे का निस्तारण नहीं किये जाने के आधार पर मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में ओ0ए0 संख्या–136/2015 एवं ओ0ए0 संख्या–6/2017 मधुमंगल शुक्ला बनाम यूनियन आफ इण्डिया एवं अन्य योजित की गयी थी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में योजित उपर्युक्त याचिका में सुनवाई के उपरान्त दिनांक 11.05.2016 को पारित आदेश के कियात्मक अंश का विवरण निम्नवत् है:–

"1. There is clear air and environment pollution, bad odour and public nuisance resulting from this activity and indiscriminate breach of MSW Rules, 2000 in every possible way. This would attract the provision of Section 15 and 17 of NGT Act, 2010. We therefore impose environmental compensation of Rs. 5 lac on the Deputy Commissioner of Vrindavan, District Mathura and Rs. 5 lac on the Nagar Palika Parishad, Vrindhawan.

2. The UPPCB claims that it had issued notices to the authority but still they failed to take steps. The UPPCB have also failed to discharge their statutory function and failed to carry out supervision and take action in accordance with Air Act and Municipal Solid Waste Rules, 2000 Thus we impose environmental compensation of Rs. 1 lac. On the UPPCB i.e. respondent No.3

3. We further impose cost of Rs. 50,000/- which shall be recovered in the first instance from the State/ District Administration and Respondent No. 5 and would equally share this amount. This shall be subsequently y recovered from the salary or erring officers of Respondent No. 1, Respondent No. 5 and Respondent No.8.

4. The amount shall be recovered after holding departmental enquiry. Besides recovery, the Respondent particularly the concerned Secretary of the State of U.P. is also directed to take disciplinary action against the erring officers and the staff. IF there is any private agency engaged by the public authority for collection, transportation and dumping of waste, appropriate action shall also be taken against the said private authority in accordance with law.

अतः मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा पारित उपर्युक्त आदेश दिनांक 11.05.2016 के अनुपालन में आप द्वारा पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, वृन्दावन में ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन तथा प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध इत्यादि पर अपेक्षित एवं प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी, जिसके कारण मा0 न्यायालय में शासन को असमंजसपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई। आपका यह कृत्य उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली–1999 एवं सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली–1956 के विरूद्ध है जिसके लिए आप दोषी हैं।

<u>आरोप संख्या–1 का उत्तर नगर पालिका परिषद, वृन्दावन के कार्यकाल का प्रकरण</u>

अवगत कराना है कि मेरी नियुक्ति नगर पालिका परिषद, वृन्दावन में 11.4.2016 को हुई थी ज्वाईनिंग के बाद 1 सप्ताह का अवकाश लेकर दिंनाक 20.4.2016 को कार्यभार ग्रहण किया था। उक्त प्रकरण वर्ष 2015 का है उस समय श्री राम आसरे कमल, अधि0अधि0 थे। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में उनके कार्यकाल से ही प्रचलित था। मेरे द्वारा उस समय 6 नगर पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार भी देखा जा रहा था। मेरे द्वारा समस्त कार्य सही और निष्ठा से किया गया है । मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश 11.5.2016 का आदेश 2015 में दाखिल याचिका के आधार पर पारित किया गया था जो मेरे कार्यकाल का नहीं था और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। इसी प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश 03.07.2017 भी मुझ पर लागू नहीं होता क्योंकि नगर पालिका परिषद, वृन्दावन से मेरा स्थानांतरण 28.4.2017 को न0पं0, ओबरा जनपद सोनभद्र हो गया था। इस प्रकार से मैं मा0 हरित अधिकरण के उक्त आदेश से प्रभावी नहीं हूँ। बल्कि यह आदेश श्री रामआसरे कमल, अधि0अधि0 के कार्यकाल में दाखिल रि0 या0 सं0 से है। मैं जब तक न0पा0प0, वृन्दावन में रहा तब तक अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से किया था। यहां तक नगर में साफ–सफाई की बात है मेरे द्वारा नियमित रूप से अपने कार्यों का खुद देखा जाता था उस समय मेरे पास 6 निकायों का अतिरिक्त प्रभार होने से मैं ज्यादा समय एक जगह नहीं दे पा रहा था। न0पा0प0 वृन्दावन में सफाई कार्यों का देख–रेख श्री अवधेश यादव, सफाई निरीक्षक के द्वारा किया जा रहा था जिसके लिए वह दोषी हैं। क्योंकि मा0 न्यायालय में वादों की पैरवी व साफ सफाई का दायित्व भी श्री अवधेश यादव सफाई निरीक्षक के पास ही था जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं उक्त अवधि में वृन्दावन में तैनात ही नहीं रहा तो आरोप पत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव उपरोक्त कारणों को लेकर आरोप पत्र निक्षेपित होने योग्य है।

<u>विवेचना–</u>

पत्रावली में रक्षित अभिलेखों व अपचारी अधिकारी के उत्तर का परीक्षण किया गया। अपचारी द्वारा कथन किया गया है कि उसकी नियुक्ति नगर पालिका परिषद, वृन्दावन में 11.4.2016 को हुई थी ज्वाईनिंग के बाद 1 सप्ताह का अवकाश लेकर दिंनाक 20.4.2016 को कार्यभार ग्रहण किया था। उक्त प्रकरण वर्ष 2015 का है उस समय श्री राम आसरे कमल, अधि0अधि0 थे। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में उनके कार्यकाल से ही प्रचलित था। मेरे द्वारा उस समय 6 नगर पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार भी देखा जा रहा था। मेरे द्वारा समस्त कार्य सही और निष्ठा से किया गया है । मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश 11.5.2016 का आदेश 2015 में दाखिल याचिका के आधार पर पारित किया गया था जो मेरे कार्यकाल का नहीं था और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। इसी प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश 03.07.2017 भी मुझ पर लागू नहीं होता क्योंकि नगर पालिका परिषद, वृन्दावन से मेरा स्थानांतरण 28.4.2017 को न0पं0, ओबरा जनपद सोनभद्र हो गया था। इस प्रकार से मैं मा0 हरित अधिकरण के उक्त आदेश से प्रभावी नहीं हूँ। बल्कि यह आदेश श्री रामआसरे कमल, अधि0अधि0 के कार्यकाल में दाखिल रि0 या0 सं0 से है। मैं जब तक न0पा0प0, वृन्दावन में रहा तब तक अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से किया था। यहां तक नगर में साफ–सफाई की बात है मेरे द्वारा नियमित रूप से अपने कार्यों का खुद देखा जाता था उस समय मेरे पास 6 निकायों का अतिरिक्त प्रभार होने से मैं ज्यादा समय एक जगह नहीं दे पा रहा था। न0पा0प0 वृन्दावन में सफाई कार्यों का देख–रेख श्री अवधेश यादव, सफाई निरीक्षक के द्वारा किया जा रहा था जिसके लिए वह दोषी हैं। क्योंकि मा0 न्यायालय में वादों की पैरवी व साफ सफाई का दायित्व भी श्री अवधेश यादव सफाई निरीक्षक के पास ही था जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं उक्त अवधि में वृन्दावन में तैनात ही नहीं रहा तो आरोप पत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। अतएव उपरोक्त कारणों को लेकर आरोप पत्र निक्षेपित होने योग्य है।

अपचारी अधिकारी द्वारा अपने कथन की पुष्टि हेतु अपर नगर आयुक्त नगर निगम मथुरा–वृन्दावन द्वारा हस्ताक्षरित पूर्ववर्ती नगर पालिका परिषद, वृन्दावन में तैनात कतिपय अधिशासी अधिकारी की तालिका बनाकर उनके कार्यकाल की प्रति संलग्न की गई है जिसके अनुसार अधिशासी अधिकारी के पद पर श्री रजनीश शर्मा दिनांक 27.06.2014 से दिनांक 10.5.2015 तक तैनात रहे, श्री रामआसरे कमल दिनांक 11.5.2015 से दिनांक 10.4.2016 तक तैनात रहे, श्री टी0एन0चौबे दिनांक 11.4.2016 से दिनांक 28.4.2017 तक तैनात रहे तथा श्री रजनीश शर्मा दिनांक 29.4.2017 से 12.5.2017 तक तैनात रहे हैं। उक्त तालिका में अंकित अपचारी अधिकारी की अवधि से उसका यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश उनके कार्यकाल का नहीं है और उसमें उसका कोई दोष नहीं है क्योंकि अपचारी दिनांक 11.4.2016 से दिनांक 28.4.2017 तक तैनात था।

अपचारी अधिकारी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन कराने में संवेदनशीलता नहीं बरती गई, जबकि उसकी तैनाती अवधि में ही मा0 अधिकरण का आदेश दिनांक 11.5.2016 व 23.8.2016 पारित किये गये हैं। जिसमें मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 11.5.2016 द्वारा धनराशि रू0 5.00 लाख की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति उच्च आयुक्त वृन्दावन के विरूद्ध अधिरोपित की गयी है, व धनराशि रू0 5.00 लाख नगर पालिका परिषद, वृन्दावन के विरूद्ध अधिरोपित की गई है जिससे अपचारी अधिकारी अनभिज्ञ नहीं हो सकता। उल्लेखनीय है कि शासन के पत्र संख्या–325 जी0 आई0/नौ–5–2014–426सा/14, दिनांक 5 दिसम्बर,2014 द्वारा समस्त संबंधित निकायों को अवगत कराया गया है कि देश में नगरीय ठोस अपशिष्ट के प्रबन्धन एवं हथालन हेतु पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा म्युनिस्पिल सालिड वेस्ट (मैनेजमेंट एवं हैंडलिंग) रूल्स 2000 प्राख्यापित किया गया है जिसके द्वारा सभी नगरीय निकायों में कूड़ा प्रसंस्करण एवं उसके निस्तारण की समुचित व्यवस्था समयबद्ध रूप से की जानी है। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में आरोप में वर्णित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन कियान्वयन योजना अथवा प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध इत्यादि पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के कोई ठोस अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करके सजगता व सक्रियता से उक्त योजना का प्रभावी कियान्वयन किये जाने हेतु अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। जिसके कारण मा0 अधिकरण में शासन को असमंजसपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ा एवं प्रदेश की छवि धूमिल हुई जोकि सरकारी सेवक आचरण नियमावली के प्रतिकूल है। अतः अपचारी अधिकारी के विरूद्ध गठित आरोप सिद्ध पाया जाता है।

अनुपूरक आरोप पत्र आरोप संख्या :–1

यह कि आप द्वारा नगर पंचायत, ओबरा जनपद सोनभद्र के कार्यकाल में 14वॉ वित्त आयोग के अंतर्गत चूड़ी गली में रोड का निर्माण एवं शौचालय कार्य अत्यंत घटिया किस्म सामग्री से बनवाये जाने तथा रू0 6,18,599/– का संबधित फर्म को अग्रिम भुगतान करने के उपरांत भी संबंधित फर्म से समय से कार्य पूर्ण न कराने की अनियमितता बरती गयी है। जिसके लिए आप प्रथम दृष्टया दोषी हैं।

अनुपूरक आरोप पत्र संख्या–1 का उत्तर नगर पचांयत, ओबरा के कार्यकाल का

संबंधित प्रकरण में अवगत कराना है कि चूडी वाली गली ओबरा में सड़क निर्माण व शौचालय निर्माण में अनियमितता की बात कही गयी है। सर्वथा अनुचित है मेरे द्वारा जो भी कार्यवाही की गयी है वह नियमानुसार जे0ई0 से आगणन तैयार कराकर सहायक अभियंता से सत्यापित कराकर कार्यपूर्ण होने की दशा में भुगतान किया जाता है। जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक अग्रिम भुगतान की बात कहीं गयी है वह जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कम में किया गया है। जो शायद जांच के समय जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। इसी कारणों को लेकर मैने नगर पंचायत, ओबरा से पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग अपने पत्र दिनांक 27 मई ,2020 में की थी जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। उक्त आदेश पर मा0 अध्यक्ष महोदया ने भी अपनी स्वीकृति दी है तथा समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा उनका अंतिम भुगतान भी किया जा चुका है। भुगतान के समय इस प्रकार की कोई बात नहीं आयी थी। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया था यह शिकायत केवल विरोध प्रकट करने के कारण हुआ था जो निक्षेपित करने योग्य है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त दोनों प्रकरणों का जवाब प्राप्त करते हुए प्रार्थी के अनुरोध को स्वीकार कर कार्यवाही को निक्षेपित करने का कष्ट करें।

विवेचना–

पत्रावली में रक्षित अभिलेखों व अपचारी अधिकारी के उत्तर का परीक्षण किया गया। अपचारी द्वारा कथन किया गया है कि "चूडी वाली गली ओबरा में सड़क निर्माण व शौचालय निर्माण में अनियमितता की बात कही गयी है सर्वथा अनुचित है। मेरे द्वारा जो भी कार्यवाही की गयी है वह नियमानुसार जे0ई0 से आगणन तैयार कराकर सहायक अभियंता
से सत्यापित कराकर कार्यपूर्ण होने की दशा में भुगतान किया जाता है। जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक अग्रिम भुगतान की बात कहीं गयी है वह जिलाधिकारी महोदय के आदेश के कम में किया गया है। जो शायद जांच के समय जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत ही नहीं किया गया था। इसी कारणों को लेकर मैने नगर पंचायत, ओबरा से पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग अपने पत्र दिनांक 27 मई ,2020 में की थी जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। उक्त आदेश पर मा0 अध्यक्ष ने भी अपनी स्वीकृति दी है तथा समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा उनका अंतिम भुगतान भी किया जा चुका है। भुगतान के समय इस प्रकार की कोई बात नहीं आयी थी। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया था यह शिकायत केवल विरोध प्रकट करने के कारण हुआ था जो निक्षेपित करने योग्य है।"

अपचारी अधिकारी द्वारा कथन किया गया है कि जो भी कार्यवाही की गई है अवर अभियंता से आगणन तैयार कराकर सहायक अभियंता से सत्यापित कराकर कार्य पूर्ण होने की दशा में भुगतान किया जाता है जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाती है। उल्लेखनीय है कि पत्रावली में रक्षित नगर पंचायत ओबरा, सोनभद्र के अधिशासी अधिकारी के पत्र संख्या–759/न0पं0ओ0/2019–20, दिनांक 01.07.2019 द्वारा अपर जिलाधिकारी, सोनभद्र को अवगत कराया गया है कि चूड़ी वाली गली का निर्माण कार्य 14वॉं वित्त से वर्ष 2017–18 में मेसर्स शाहिल इण्टरप्राइजेज को ई–निविदा द्वारा आवंटित हुआ था। उक्त फर्म को कार्य प्रारम्भ के पूर्व ही 70 प्रतिशत का भुगतान नियम विरूद्ध रूप से कर दिया गया था। दिनांक 12.04.2019 को नोटिस दिये जाने पर उक्त फर्म द्वारा गुणवत्ताविहीन कार्य प्रारम्भ किया गया। निरीक्षण में जब उसे चेतावनी दी गई तो फर्म ने कार्य बंद कर दिया गया। अतः अधिशासी अधिकारी के पत्र दिनांक 01.7.2019 द्वारा उल्लिखित तथ्यों के आलोक में अपचारी अधिकारी का यह कथन स्वीकार योग्य नहीं है कि चूड़ी वाली गली ओबरा में सड़क निर्माण व शौचालय निर्माण का समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं व उनका अंतिम भुगतान भी किया जा चुका है जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा दी गई और भुगतान के समय इस प्रकार की कोई बात नहीं आयी थी।

अपचारी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि अग्रिम भुगतान जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में किया गया है जिसके लिए अपचारी अधिकारी द्वारा नगर पंचायत ओबरा की पत्रावली उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है। अतः अपचारी अधिकारी द्वारा आंशिक रूप से इस आरोप का उत्तर दिया गया है जिसके आधार पर यह आरोप उसके विरूद्ध आंशिक रूप से सिद्ध पाया जाता है।

अपचारी अधिकारी के विरूद्ध उपरोक्त आरोप संख्या–1 सिद्ध एवं अनुपूरक आरोप संख्या–1 आंशिक सिद्ध पाये जाने के दृष्टिगत पत्र दिनांक 03.07.2020 द्वारा दिनांक 10.07.2020 तक अभ्यावेदन उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये थे जिसके संबंध में पत्र दिनांक 09.07.2020 द्वारा अभ्यावेदन उपलब्ध कराया गया है। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने अभ्यावेदन में निम्नवत् उल्लेख किया गया है:–

आरोप संख्या–1 "नगरपालिका परिषद, वृन्दावन के कार्यकाल का प्रकरण है जिसमें यह कहना है कि मेरी नियुक्ति नगर पालिका परिषद, वृन्दावन में 11.04.2016 को हुई थी ज्वाइनिंग के बाद 1 सप्ताह का अवकाश लेकर दिनांक 20.04.2016 को कार्यभार ग्रहण किया था। उक्त प्रकरण वर्ष 2015 का है उस समय श्री राम आसरे कमल, अधिशासी अधिकारी थे। प्रकरण मा0 एन0जी0टी0 में उनके कार्यकाल से ही प्रचलित था। मेरे द्वारा उस समय 6 नगर पंचायतों का अतिरिक्त प्रभार भी देखा जा रहा था। मेरे द्वारा समस्त कार्य सही और निष्ठा से किया गया है। मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश 11.05.2016 का आदेश 2015 में दाखिल याचिका के आधार पर पारित किया गया था जो मेरे कार्यकाल का नहीं था और इसमें मेरा कोई दोष नहीं था। इसी प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण का आदेश 03.07.2017 भी मुझ पर लागू नहीं होता क्योंकि नगर पालिका परिषद, वृन्दावन से मेरा स्थानान्तरण 28.04.2017 को नगर पंचायत, ओबरा जनपद सोनभद्र हो गया था। इस प्रकार मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के उक्त आदेश से प्रभावी नहीं हूँ। बल्कि यह आदेश श्री राम आसरे कमल, अधिशासी अधिकारी के कार्यकाल में दाखिल रि0या0 सं0 से है। मैं

जब तक न0पा0प0 वृन्दावन में रहा तब तक अपने दायित्वों का निर्वहन सही तरीके से किया था। यहां तक नगर में साफ–सफाई की बात है मेरे द्वारा नियमित रूप से अपने कार्यों का खुद देखा जाता था उस समय मेरे पास 6 निकायों का अतिरिक्त प्रभार होने से मैं ज्यादा समय एक जगह नहीं दे पा रहा था। नगर पालिका परिषद, वृन्दावन में सफाई कार्यों का देख–रेख श्री अवधेश यादव, सफाई निरीक्षक के द्वारा किया जा रहा था जिसके लिए वह दोषी हैं। क्योंकि मा0 न्यायालय में वादों की पैरवी व साफ सफाई का दायित्व भी श्री अवधेश यादव, सफाई निरीक्षक के पास था जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है। मैं उक्त अवधि में वृन्दावन में तैनात ही नहीं रहा तो आरोप पत्र का प्रश्न ही नहीं उठता। इस प्रकार संबंधित प्रकरण में मुझे दोषी बनाया जाना किसी भी तरह से न्यायसंगत नहीं है क्योंकि गठित आरोप पत्र में यह कहा गया था कि संबंधित प्रकरण में यदि किसी से जिरह करना चाहते हो या पत्रावली का परीक्षण करना चाहते हों तो अवगत कराये जिसमें क्रम में मैंने दिनांक 27.05.2020 को पत्र भेजकर पत्रावली की मांग किया था जिस पर जांच अधिकारी द्वारा यह कहकर मना कर दिया गया कि आप प्रकरण को दीर्घ अवधि तक लम्बित रखना चाहते हैं। पत्रावली अवलोकन कर समय नहीं दिया गया यदि पत्रावली उपलब्ध हो जाती तो उसके आधार पर जो आख्या तैयार होती उसमें मेरा कोई दोष परिलक्षित नहीं होता क्योंकि मेरे द्वारा समय–समय पर मा0 एन0जी0टी0 के आदेशों का अनुपालन किया गया है। एकपक्षीय निर्णय के तहत मुझ पर यह आरोप सिद्ध किया गया है जो न्यायसंगत नहीं है तथा आरोप निक्षेपित होने योग्य है।

<u>अनुपूरक आरोप संख्या–1</u> "नगर पंचायत,ओबरा जनपद सोनभद्र के कार्यकाल का है। संबंधित प्रकरण में अवगत कराना है कि चूड़ी वाली गली ओबरा में सड़क निर्माण व शौचालय निर्माण में अनियमितता की बात कही गयी है। सर्वथा अनुचित है मेरे द्वारा जो भी कार्यवाही की गयी है नियमानुसार जे0ई0 से आगणन तैयार कराकर सहायक अभियन्ता से सत्यापित कराकर कार्यपूर्ण होने की दशा में भुगतान किया जाता है जिसकी स्वीकृति अध्यक्ष द्वारा प्रदान की जाती है। इस प्रकार निर्माण कार्य में घटिया सामग्री लगाने का कोई प्रश्न ही नहीं है। जहां तक अग्रिम भुगतान की बात कही गयी है वह जिलाधिकारी के आदेश के क्रम में किया गया है। जो शायद जांच के समय जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। इसी कारणों को लेकर मैंने नगर

पंचायत, ओबरा से पत्रावली उपलब्ध कराने की मांग अपने पत्र दिनांक 27.05.2020 में की थी जो मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पायी है। उक्त आदेश पर अध्यक्ष ने भी अपनी स्वीकृति दी है तथा समस्त कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा उनका अंतिम भुगतान भी किया जा चुका है। भुगतान के समय इस प्रकार की कोई बात नहीं आयी थी। गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखा गया था यह शिकायत केवल विरोध प्रकरण करने के कारण हुआ था जो निक्षेपित करने योग्य है।

अपचारी अधिकारी को निर्गत आरोप–पत्र, आरोप–पत्र का उत्तर, जांच अधिकारी की जांच आख्या, सिद्ध आरोप के संबंध में अपचारी अधिकारी के प्राप्त अभ्यावेदन एवं सुसंगत अभिलेखों का अनुशीलन/परीक्षण किया गया। अपचारी अधिकारी द्वारा मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेशों का अनुपालन कराने में संवेदनशीलता नहीं बरती गई, जबकि उसकी तैनाती अवधि में ही मा0 अधिकरण का आदेश दिनांक 11.5.2016 व 23.8.2016 पारित किये गये हैं। अपचारी अधिकारी द्वारा अपने उत्तर में आरोप में वर्णित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन क्रियान्वयन योजना अथवा प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबन्ध इत्यादि पर प्रभावी कार्यवाही किये जाने के कोई ठोस अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे परिलक्षित होता है कि उनके द्वारा अपनी प्रशासनिक शक्तियों का उपयोग करके सजगता व सक्रियता से उक्त योजना का प्रभावी क्रियान्वयन किये जाने हेतु अपने शासकीय दायित्वों का निर्वहन नहीं किया गया है। अतः जांच अधिकारी की जांच आख्या दिनांक 03.07.2020 द्वारा सिद्ध पाये गये आरोपों के दृष्टिगत अपचारी अधिकारी को निम्नलिखित दण्ड देते हुए कार्यालय आदेश संख्या–2/11292 /28/ 620(491)/अ0अ0न0पं0/93टीसी पार्ट–3, दिनांक 02.12.2019 तथा कार्यालय आदेश दिनांक 02.12.2019 के क्रम में नगर पंचायत, ओबरा जनपद सोनभद्र के कार्यकाल में बरती गयी अनियमितता हेतु पत्र संख्या–2/257/67 /वि0जां0/अ0अ0न0पं0/19, दिनांक 15.01.2020 द्वारा दोनों प्रकरणों में प्रचलित विभागीय अनुशासनिक कार्यवाही एतद्द्वारा समाप्त की जाती है:–

"श्री टी0एन0चौबे की एक वेतन वृद्धि अस्थायी रूप से एक वर्ष के लिए रोकी जाती है।"

(डा0काजल)
निदेशक।

<u>संख्या एवं दिनांकःतदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– प्रमुख सचिव,उ0प्र0शासन,नगर विकास अनुभाग–1/ 5, लखनऊ।
2– जिलाधिकारी, प्रयागराज/मथुरा/सोनभद्र।
3– नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन।
4– अध्यक्ष, नगर पंचायत, हण्डिया(प्रयागराज)/ओबरा(सोनभद्र)।
5– श्री टी0एन0चौबे, अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, हण्डिया(प्रयागराज)।
6– वैयक्तिक पत्रावली/चरित्र पंजिका हेतु।

(डा0काजल)
निदेशक।

Signature valid
Digitally signed by K...
Date: 2020.0?.?7 13:...
Designation: Director

Annexure - 3

प्रेषक,

जिलाधिकारी,
मथुरा।

सेवा में,

विशेष सचिव,
नगर विकास विभाग अनुभाग–2
उ0प्र0 शासन, लखनऊ

पत्रांक 10 /ओएसडी/2020

दिनांक 28 जुलाई ,2020

विषयः– श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद, वृन्दावन, मथुरा के स्पष्टीकरण पर प्रतिपरीक्षण आख्या उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्र संख्या 174/नौ–2–2020–217(सा)/20 नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 11.05.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। प्रश्नगत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरी द्वारा श्री सत्येन्द्र कुमार तिवारी, अपर नगर आयुक्त, नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन की अध्यक्षता में 04 सदस्यीय समिति, श्री सुरेन्द्र यादव, प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय, मथुरा (सदस्य), श्री अरविन्द कुमार, क्षेत्रीय अधिकारी, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा (सदस्य), श्री पी0के0 पाण्डेय, एस0डी0ओ0, वन विभाग, मथुरा(सदस्य) का गठन कर प्रतिपरीक्षण आख्या प्राप्त की गई। समिति द्वारा अपने पत्र संख्या 153/आ0न0अ0/न0नि0म0वृ0/2020 दिनांक 28.07.2020 के माध्यम से नगर निगम, मथुरा–वृन्दावन कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्यों के आधार पर प्रतिपरीक्षण कर आख्या उपलब्ध करायी गई है जो स्वतः स्पष्ट है।

अतः समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रतिपरीक्षण आख्या से सहमत होते हुए आपको मूलरूप में संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(सर्वज्ञ राम मिश्र)
जिलाधिकारी,
मथुरा।

Scanned with CamScanner

सेवा में,

जिलाधिकारी ,
मथुरा।

पत्रांक:–153 / आ0न0आ0 / न0नि0म0वृ0 / 2020 दिनांक: 28 जुलाई, 2020

विषय: श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद ,वृन्दावन–मथुरा ,जनपद मथुरा के स्पटीकरण पर प्रतिपरीक्षण आख्या उपलब्ध कराने के संबध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासन के पत्रसंख्या 174 / नौ–2–2020–217(सा) / 20 नगर विकास अनुभाग–2 लखनऊ दिनांक 11.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद, वृन्दावन–मथुरा ,जनपद मथुरा के अदिनांकित–पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये स्पष्टीकरण की प्रतिसंलग्न करते हुये शासन के पत्र सं01066 / नौ–2–2019–217(सा) / 2019 दिनांक 02.12.2019 द्वारा निर्गत कारण बताओ नोटिस के संबध में श्री मुकेश गौतम के उक्त स्पष्टीकरण पर स्पष्ट संस्तुति सहित स्वहस्ताक्षरित प्रति परीक्षण आख्या शासन को उपलब्ध कराये जाने हेतु निर्देशित किया गया है।

उक्त प्रश्नगत प्रकरण के संबध में आप द्वारा दिनांक 10.07.2020 को चार सदस्यीय टीम का गठन कर प्रतिपरीक्षण कर आख्या प्रेषित करने के निर्देश दिये गये जिसके क्रम में टीम द्वारा श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद ,वृन्दावन–मथुरा ,जनपद मथुरा के स्पष्टीकरण का प्रतिपरीक्षण उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर किया गया। जिसकी प्रतिपरीक्षण आख्या निम्नवत है।

1 श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि "प्रार्थी द्वारा निरंतर माननीय राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के निर्देशों के अनुपालन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हेतु वृन्दावन नगर के कूडे कचडे का निस्तारण का ध्यान तत् समय दिया गया था कितु नगर पालिका परिषद वृंदावन की आर्थिक स्थिति निर्देशों के अनुकूल न होने के कारण उत्तर प्रदेश शासन से बेहतर प्रबधंन एव नगरीय ठोस अपशिष्ठ नियमावली 2000 में दी गयी व्यवस्थाओं के अनुरूप कार्य संपादित किया जाना तभी संभव था जब तत् समय शासन को भेजी गयी 18 करोड की धनराशि डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट(डी0पी0आर0) के आधार पर धनराशि अवमुक्त होकर वृन्दावन नगर पालिका परिषद को प्राप्त हो जाती"

उक्त कथन के सबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा अपने पत्र संख्या 243 / कै0का0(स्वास्थ्य)2015 दिनांक 20.08.2015 के द्वारा नगर पालिका परिषद वृन्दावन में नगरीय ठोस अपशिष्ठ (प्रबधंन एवं हथालन) नियमावली 2000 के क्रियान्वयन हेतु निविदा आंमत्रित की गयी है तथा पत्रांक 388 / कै0का02015 दिनांक 26.12.2015 द्वारा शासन को डी0पी0आर0 की धनराशि 2203.26 लाख नगरीय ठोस अपशिष्ठ

Scanned with CamScanner

नियमावली 2000 के अनुसार प्रबंधन एवं हथालन मद में जारी करने हेतु शासन से मांग हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।

2– श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि "वृन्दावन नगर पालिका परिषद ने अपने सीमित संसाधनों से शहर का ठोस अपशिष्ट कूड़ा–करकट कलैक्शन कर डपिंग ग्राउंड पर डंप कराया गया तथा यमुना नदी के किनारे कूड़ा–करकट को साफ कराकर गंदगी डालनें से रोका गया।शासन से संबधित कार्य हेतु धनराशि प्राप्त नही हुयी थी जो आज भी शासन में लंबित है किंतु इस दौरान शहर के कूडा–करकट का विधिवत निस्तारण नगर पालिका परिषद वृन्दावन के सभी सफाई उपकरणों को लगाकर कूडा–करकट मेरे कार्यकाल में बनवायें गये डंपिग ग्राउण्ड पर प्रतिदिन पहुँचाया गया। शहर से बाहर सौ फुटा मांट रोड नगर पालिका के कृषि फार्म पर लगभग 5 एकड़ भूमि पर डंपिग ग्राउण्ड का निर्माण माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों के अंतर्गत मेरे कार्यकाल के दौरान बनाया गया।"

उक्त कथन के सबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया नगर पालिका परिषद वृन्दावन के आदेश दिनांक 02.06.2015 जोकि स्वास्थ्य निरीक्षक द्वारा समस्त सफाईनायकों को कही पर भी कूडे को न जलाने के निर्देश देने से संबधित है। उक्त आदेश की छायाप्रति मात्र उपलब्ध है इसके अतिरिक्त 06.08.2015 को अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा उक्त के ही संबध में एक सूचना अमर उजाला में प्रकाशित की गयी है समाचार पत्र की कटिंग की छायाप्रति पत्रावली पर उपलब्ध हैं। डंपिग ग्राउण्ड के निर्माण के संबध में अति अल्पकालीन निविदा सूचना 48/कै0का0(निर्माण) 2016 दिनांक 05.05.2016 द्वारा राज्यवित आयोग/बोर्ड फण्ड की धनराशि से निर्माण कराये जाने हेतु निविदा आमंत्रित की गयी है तथा दिनांक 24.05.2016 को पत्रांक 52/निर्माण/2016 मै0शिवम कन्सट्रक्शन को कार्यादेश जारी किया जाना पाया गया इसके अतिरिक्त नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा राज्यवित्त आयोग/बोर्ड फण्ड की धनराशि से डंपिग ग्राउण्ड के अंदर इण्टरलॉकिग, तार फैनसिंग तथा गेट लगाने के कार्य हेतु अति अल्पकालीन निविदा सूचना पत्रांक 280/कै0का0(निविदा)2015 दिनांक 05.09.2015 आंमत्रित किया जाना पाया गया है।

3– श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि "मै समय–समय पर राष्ट्रीय हरित अभिकरण में प्रस्तुत की गयी तस्वीरों को पत्र के साथ प्रस्तुत कर रहा हुँ जो समय–समय पर प्रयासों को दर्शाती है जिसमें अधिकारी अपने कर्तव्यों का निवर्हन कर रहे थें फिर भी आदेश हमारी अपेक्षाओं के विपरीत हैं। माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के समक्ष समय–समय पर अधिकारियों द्वारा हलफनामें दायर किये गये थें, जो समय–समय पर प्रगति को दर्शाते है।

उक्त कथन के सबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया नगर पालिका परिषद वृन्दावन के अधिशासी अधिकारी टी0एन0 चौबे द्वारा दिनांक 16 मई 2015 तथा रामआसरे कमल द्वारा दिनांक 24 अगस्त 2015 को माननीय राष्ट्रीय अभिकरण के समक्ष हलफनामा दायर करना अभिलेखों में पाया जाता है।

4– श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि "मेरे कार्यकाल के दौरान बोर्ड द्वारा स्वीकृति

Scanned with CamScanner

किये गये प्रस्ताव सं0 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14 दिनांक 05.11.2017 की छायाप्रति पत्र के साथ आपके अवलोकनार्थ संलग्न है।

उक्त कथन के सबंध में परिक्षण में यह पाया गया कि दिनांक 05.11.2017 तक नगर पालिका वृन्दावन के स्थान पर नगर निगम मथुरा–वृन्दावन का गठन हो चुका था तत्कालीन अध्यक्ष द्वारा स्वयं अपने कथन में यह स्वीकार किया गया है कि वे 04.08.2012 से 12.05.2017 तक अध्यक्ष रहें है,स्पष्टीकरण के साथ सलग्नक दिनांक 05.11.2015 को स्थान लक्ष्मण शहीद भवन में आयोजित बोर्ड बैठक का कार्य विवरण दिया गया है जिसके अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध पाये गये हैं।

5 श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि "नगर पालिका परिषद के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा शहर में प्लास्टिक कैरी बैग के प्रतिबंध के लिए प्रतिदिन तत् समय अपेक्षित कार्यवाही की गयी तथा होर्डिंग एवं साइन बोर्ड लगवाकर जनता को जागरूक किया इस सबंध में नगर में विभिन्न स्तर पर रैली आदि का आयोजन कराया गया साथ ही साधु संतो के साथ नगर को स्वच्छ बनाने के लिये बैठके की गयी । नगर का समस्त कूड़ा कचरा शहर के प्रत्येक स्थान से उठवाकर नवीन ट्रंचिग ग्राउंड में निर्देशों के अनुरूप डंप कराया गया।

उक्त कथन के सबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा समय–समय पर जब्त की गयी पॉलीथीन तथा किये गये जुर्माना के संवध में अधिशासी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित विवरण की छायाप्रति उपलब्ध पायी गयी है। होडिंग एवं साइन बोर्ड लगे होने के संबध में खींचे गये फोटो की छायाप्रति उपलब्ध पायी गयी है।

6- श्री मुकेश गौतम तत्कालीन अध्यक्ष नगर पालिका परिषद वृन्दावन द्वारा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेखित किया गया है कि "मेरे कार्यकाल के दौरान नगर पालिका परिषद में अधिशासी अधिकारी के पद पर योग्य एवं अनुभवी कार्यरत श्री रामआसरे कमल जिन्होनें उक्त प्रकरण में शुरू से ही अपनी सहभागिता एवं कार्यकुशलता के आधार पर माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण के निर्देशों का पालन किया उनका जिला प्रशासन द्वारा मार्च 2016 में स्थानातंरण करके श्री टी0एन0चौबे अधिशासी अधिकारी को नगर पालिका परिषद वृन्दावन में तैनात कर दिया गया। इनके द्वारा निर्देशों के अनुपालन मे समुचित कार्यवाही न करते हुये लापरवाही की गयी जिसके कारण माननीय राष्ट्रीय हरित अभिकरण में उक्त प्रकार के आदेश की स्थिति उत्पन्न हुयी। उक्त कथन के सबंध में अभिलेखों का परीक्षण किया गया इस संबध में किसी प्रकार का अभिलेखीय साक्ष्य नहीं पाया गया।

समिति द्वारा की गयी प्रतिपरीक्षण आख्या महोदय की सेवामें सादर अवलोकनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक:--उपरोक्तानुसार ।

28/07/2020		28-07-2020	28/7/2020
(पी0के0पाण्डेय)	(अरविंद कुमार)	(सुरेन्द्र प्रसाद यादव) (P.C.S)	(सत्येन्द्र कुमार तिवारी)
एस0डी0ओ0	क्षेत्रीय अधिकारी	प्रभारी अधिकारी	अपर नगर आयुक्त
वन विभाग, मथुरा	प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, मथुरा	स्थानीय निकाय, मथुरा	नगर निगम मथुरा-वृन्दावन

Scanned with CamScanner